भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *107
01.08.2024 को उत्तर के लिए

देश में अपशिष्ट प्रबंधन

***107. श्री बी. पार्थसारधी रेड्डी :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाले 62 मिलियन टन (एमटी) सार्वजनिक ठोस अपशिष्ट में से केवल 43 एमटी ही एकत्र किया जाता है, जिसमें से केवल 11.9 एमटी का निपटान किया जाता है और शेष अपशिष्ट को लैंडफिल साइटों में डाल दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो देश में कम अपशिष्ट निपटान किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार देश में अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करने के लिए कोई उन्नत तकनीकी समाधान आरंभ करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो सरकार इस मुद्दे से किस प्रकार निपटने की योजना बना रही है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'देश में अपशिष्ट प्रबंधन' के संबंध में श्री बी. पार्थसारधी रेड्डी, माननीय संसद सदस्य द्वारा दिनांक 01.08.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 107 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत देश में ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु सांविधिक कार्य ढांचा उपलब्ध कराया गया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु स्थानीय प्राधिकरणों को अधिदेशित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 डैशबोर्ड के अनुसार, उत्पन्न किए गए ठोस अपशिष्ट की मात्रा लगभग 1.59 लाख टीपीडी है, जिसमें 1.24 लाख टीपीडी को प्रसंस्कृत किया जाता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, स्थानीय निकायों को केवल गैर-पुनर्चक्रणीय, गैर-जैव अवक्रमणीय, गैर-दहनीय और गैर-प्रतिक्रियाशील अपशिष्ट को सेनिटरी लैंडफिलों में पहुंचाने हेतु अधिदेशित किया गया है और लैंडफिल में शून्य अपशिष्ट के वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु हर संभव प्रयास किया जाएगा।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पुराने अपशिष्ट (पुराने नगरीय ठोस अपशिष्ट) के निपटान हेतु अलग से दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत पुराने अपशिष्ट के जैविक खनन के संबंध में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए निदेश जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, स्थानीय निकाय उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करके तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण केन्द्रों के निर्माण, संचालन और अनुरक्षण तथा तत्संबंधी आधारभूत संरचना के निर्माण में सुविधा प्रदान करेंगे।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी संगठन ने नगरीय ठोस अपशिष्ट मैनुअल प्रकाशित किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और शोधन के तकनीकी पहलुओं को शामिल किया गया है।

इसके अलावा, सीपीसीबी द्वारा स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और नवाचारी अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों के आकलन हेतु अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी के संबंध में स्थायी समिति का भी गठन किया है। इस समिति ने अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन के लिए एक प्रोटोकाल तैयार किया है, जो सीपीसीबी की वेबसाइट (https://cpcb.nic.in/uploads/Technology_WM_1.pdf) पर उपलब्ध है।
